बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 15/06/26

श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक निदेशक द्वारा बेगूसराय जिले में पदस्थापन के दौरान अवैध खनन/परिवहन में जप्त किये गये वाहनों के मामले में विभागीय दिशा–निर्देश/नियम का उल्लंघन कर मनमाने ढ़ंग से कार्य किये जाने के कारण जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से उनके विरूद्ध पत्रांक 363 दिनांक 04.02.2023 से आरोप पत्र प्राप्त हुई। उक्त आरोप पत्र पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार से अनुमोदन के पश्चात् आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर श्री पासवान से लिखित अभिकथन की मांग की गई एवं सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके लिखित अभिकथन को संतोषप्रद/स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण श्री पासवान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 686/एम0 दिनांक 05.02.2025 से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को नियुक्त किया गया। श्री पासवान के सेवानिवृति (28.02.2025) के पश्चात उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश संख्या–5205 दिनांक 17.09.2025 से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही का संचालन कर संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा पत्रांक 965 दिनांक 28.11.2025 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 7869/एम0, दिनांक 29.12.2025 से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री पासवान द्वारा दिनांक 12.01.2026 को अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

3. श्री उपेन्द्र कुमार पासवान के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री उपेन्द्र कुमार पासवान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक निदेशक के विरूद्ध बेगूसराय जिले में पदस्थापन के दौरान अवैध खनन/परिवहन में जप्त किये गये वाहनों के मामले में विभागीय दिशा–निर्देश/नियम का उल्लंघन कर मनमाने ढ़ंग से कार्य किये जाने के कारण श्री पासवान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन

समीक्षोपरांत पूर्णरूपेण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43(बी) के तहत एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत पेंशन जप्त करने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड "एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत पेंशन जप्त" करने की शास्ति अधिरोपण प्रस्ताव पर परामर्श की मांग विभागीय पत्रांक 1973 दिनांक 17.03.2026 एवं स्तार पत्र 2771 दिनांक 27.04.2026 से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के दिनांक 28.04.2026 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री उपेन्द्र कुमार पासवान के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त परामर्श/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 416 दिनांक 11.05.2026 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

5. अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक निदेशक द्वारा बेगूसराय जिले में पदस्थापन के दौरान अवैध खनन/परिवहन में जप्त किये गये वाहनों के मामले में विभागीय दिशा–निर्देश/नियम का उल्लंघन कर मनमाने ढ़ंग से कार्य किये जाने के कारण **बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43(बी) के तहत एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत पेंशन जप्त** करने की शास्ति अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–12/2022–....................../एम0, पटना, दिनांक..................
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–12/2022–....................../एम0, पटना, दिनांक..................
प्रतिलिपिः–जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–12 / 2022–................... / एम0, पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–12 / 2022–................... / एम0, पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–12 / 2022–................... / एम0, पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–श्री उपेन्द्र कुमार पासवान, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, पता–गीत इन्क्लेव, फ्लैट नम्बर–103, रोड नम्बर–1 / बी, श्री कृष्ण विहार कॉलोनी, पो0–अनिसाबाद, थाना–बेउर, पटना– 800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–12 / 2022–3811 / एम0, पटना, दिनांक 15/06/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / राजपत्रित स्थापना शाखा / आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

15/06/26.

सरकार के अपर सचिव

15.6.26

D:\Sanjay\arop/Sankalp